उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-54/2016/1503/92-2-16-101जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 01 सितम्बर, 2016

**कार्यालय-ज्ञाप**

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर में अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार निर्वहन के समय उ0प्र0 शासन के आदेशों के अनुरूप उ0प्र0 सरकार के महत्वपूर्ण योजना के कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण न कराने, उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में भवन निर्माण कार्य की त्रुटिपूर्ण प्रगति सूचना उपलब्ध कराने तथा प्रस्तावित भवन निर्माण कार्यो की प्रगति अत्यन्त मन्द पाये जाने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री ए0के0 सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (02 प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 54/2016/1503/92-2-16 तददिनांकित।**

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-626/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/2016-17 दिनांक 02.08.2016 के क्रम में।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती को आरोप पत्र की 02 प्रति सहित।

3- श्री ए0के0 सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( बाबूराम )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in